no=निगरानी-5756...

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(12)

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी - 5756/2018/शिवपुरी/भू.रा.

प्र.क. /2018 निगरानी/जिलाः–शिवपुरी

अंकिता पत्नी राजू भार्गव निवासी छोटा बाजार नरवर

तहसील नरवर जिला शिवपुरी

---- आवेदिका।

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महो. जिला शिवपुरी प्र.क. 01/स्व. निग./1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 10.12.1999 की जानकारी दिनांक 07.08.2018 के विरूद्ध निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका का दिनांक 02.10.1984 के पूर्व कब्जा होने से कब्जे के आधार पर म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना भूमि सर्वे नं. 712 रकवा 1.40 हें. का कब्जे के आधार पर तहसीलदार नरवर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्र.क. 44/अ–19/1997–98 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तियां आहूत की गई समयावधि में किसी कौई आपत्ती प्राप्त नही हुई एवं ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा गया। ग्राम पंचायत द्वारा सर्व संमति से अभिमत प्रदान किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक शिवपुरी / निगरानी / भू.रा. / 2018 / 5756

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-1-19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। यह निगरानी कलेक्टर शिवपुरी के प्र.क. 1/99–2000 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–12–1999 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 20–9–18 को अर्थात लगभग 18 वर्ष 9 माह वाद प्रस्तुत की गई है, जबकि कलेक्टर शिवपुरी ने आदेश दिनांक 10–12–1999 से आवेदक के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करके तत्समय शासन हित में भूमि वापिस प्राप्त कर ली है, तब यह नहीं माना जा सकता कि लगभग 18 वर्ष 9 माह तक आवेदक को कलेक्टर के आदेश का एंव भूमि उससे वापिस ली जाकर शासन में वेष्ठित करने का उसे इतने लम्बे समय तक पता न चला हो। 2/ निगरानी अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में जानकारी कर सही श्रोत एंव जानकारी का सही विवरण न पाये जाने से 18 वर्ष 9 माह वाद प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	